राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ.18/डीडीएमए/कोविड–19/2020/170 **दिनांकः 17.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण का खतरा है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा परिस्थिति से निबटने के लिए समस्त अपेक्षित उपाय अपनाने कि लिए सर्वसंबंधित प्राधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश दिए गए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फंसे हुए पीड़ित लोगों की आवाजाही के संबंध में पहले ही आदेश सं. 122, दिनांक 01.05.2020, आदेश सं. 129, दिनांक 03.05.2020 और आदेश सं. 132, दिनांक 04.05.2020 जारी किए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 11.05.2020 के आदेशों के अनुपालन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश सं. 165, दिनांक 15.05.2020 जारी किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किए जाने के निदेश दिए गए हैं कि प्रवासी मजदूर सड़कों और रेलवे ट्रैक पर न चलें, और यदि वे ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, तो उनकी समुचित तरीके से काउंसलिंग की जाए, उन्हें नजदीकी शेल्टरों में ले जाया जाए और उनके लिए तब तक भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की जाए, जब तक उनके मूल निवास स्थानों तक जाने के लिए 'श्रमिक' स्पेशल ट्रेनों अथवा बसों आदि की व्यवस्था न हो जाती हो।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं.40–10/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 14.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुमति दी गई है कि ऐसे स्थानों पर, जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन की व्यवस्था नहीं है, वहां ट्रेनों द्वारा आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों से उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करें, बशर्ते इसके लिए सोशल डिसिटेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं.40–10/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 15.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों, रेलवे ट्रैक पर चलने वाले और ट्रकों द्वारा यात्रा कर रहे प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए यह सूचना जारी की गई है तथा यह जानकारी भी दी गई है कि रेल मंत्रालय द्वारा प्रतिदिन 100 से अधिक 'श्रमिक' स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तथा आवश्यक होने पर मंत्रालय अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था के लिए भी तैयार है।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 22 के तहत निहित शक्तियों के उपयोग के द्वारा, राज्य कार्यकारी समिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में, अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वसंबंधित द्वारा कड़े अनुपालनार्थ निम्नलिखित निदेश जारी किए जाते हैं :

1. यह सुनिश्चित किया जाए कि अपने गृह राज्यों में जाने के इच्छुक फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को भेजा जाता हो।

2. फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उचित रूप से समझाया जाए/काउंसलिंग की जाए कि जब वे बसों/ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं तो उन्हें सड़कों और रेलवे ट्रैक पर नहीं चलना चाहिए।

3. प्रवासी मजदूरों के बीच इस खबर का व्यापक प्रचार किया जाए कि यात्रा के लिए विशेष बसें/ 'श्रमिक' स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

4. समस्त जिलाधिकारी रेलवे स्टेशनों/अंतर्राज्यीय बस अड्डों के निकट यह मुनादी कराएं और वे अपने समकक्ष जिला पुलिस उपायुक्त तथा दिल्ली परिवहन निगम से समन्वय करके बसों की व्यवस्था कर ऐसे व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा लिए जिले में नजदीकी शेल्टर होम में ले जाना सुनिश्चित करें। साथ ही, इन व्यक्तियों के भोजन और रहने की व्यवस्था की जाए तथा अंततः जिला नोडल अधिकारी/संबंधित अपर जिलाधिकारी यात्रा की राज्यवार योजना बनाएं तथा दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों के तय कार्यक्रम के अनुसार उन्हें तैयार करें।

5. ऐसे स्थानों पर, जहां सार्वजनिक या निजी परिवहन की व्यवस्था नहीं है, वहां ट्रेनों द्वारा आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशनों से उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष बसों की व्यवस्था करें, बशर्ते इसके लिए सोशल डिसिटेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा।

6. संबंधित जिला पुलिस उपायुक्तों द्वारा समस्त स्थानों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि फंसे हुए लोगों की सुगमता से आवाजाही हो सके।

7. निदेश (डीआईपी) और समस्त जिलाधिकारी फंसे हुए लोगों के बीच https://epass.jantasamavad-org वेबलिंक का व्यापक प्रचार करें, ताकि अपने मूल स्थलों पर जाने के इच्छुक लोग वहां अपना पंजीकरण करवा सकें।

8. राज्यों के नोडल अधिकारी संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नामित नोडल अधिकारियों से समन्वय बनाए रखकर प्रवासी व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त ट्रनों की आवश्यकता का आकलन करेंगे और तत्संबंधी जानकारी रेल मंत्रालय को देंगे।

संलग्न : यथोक्त.

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली.

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. श्री पी0के0 गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. श्री मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त, दिल्ली पुलिस/नोडल अधिकारी दिल्ली पुलिस।
3. सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. प्रबंध निदेशक, दिल्ली परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. समस्त राज्य/संघ राज्य विनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट दिल्ली।
7. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस।
8. समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
9. दिल्ली पुलिस के समस्त अपर उपायुक्त पुलिस–1।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।